राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या–27/2013/बीकानेर

(अपील संख्या 2184/2008/बीकानेर निर्णय दिनांक 19.03.2013)

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,
बीकानेर। ...अपीलार्थी

बनाम

मै. चिरंजीलाल गुप्ता एण्ड सन्स (प्रा.) लिमिटेड,
रानी बाजार, बीकानेर। ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उपराजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री सुरेश ओझा
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.03.2018

निर्णय

1. यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट व्यवहारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2184/2008 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2013 को अपास्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है, जिसे वर्ष 2005–06 में अवार्डर अधिशाषी अभियंता (For & on behalf of the President of India) Border Fencing Division 2 C.P.W.D. बीकानेर द्वारा कार्यादेश दिनांक 20.03.05 द्वारा Strengthening/Replacement of damaged fencing and providing cement concrete pavement between BP No. 312/3 to 323/3 (SH: Fom EFL No. 617 to 697 under Bikaner Section Rajasthan) की कार्य संविदा निष्पादन हेतु आवंटित की गई थी। प्रत्यर्थी ने इस कार्य संविदा निष्पादन में अवार्डर द्वारा स्वतः करमुक्ति अण्डरटेकिंग (Automatic E.C.) पर 1.5 प्रतिशत से स्त्रोत पर कटौती कर जमा कराया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि प्रश्नगत कार्य संविदा राज्य सरकार की अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 29.03.2001 के तहत 1.5 प्रतिशत की ई.सी. शुल्क में कवर नहीं होकर 3 प्रतिशत में आती है। अतः कुल भुगतान रू 1,75,99,021/– पर 3 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क रू 5,27,971/– तथा ब्याज रू 76,233/– आरोपित कर टी.डी.एस रू 2,63,985/– समायोजित करते हुए मांग रू 3,40,209/– सृजित की। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी

लगातार.....2

द्वारा स्वीकार की जाकर अतिरिक्त आरोपण रू 2,63,986/– व ब्याज को अपास्त किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर राजस्व द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जो एकपक्षीय निर्णय दिनांक 19.03.2013 द्वारा स्वीकार हुई तथा कर बोर्ड द्वारा यह ठहराया गया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा निष्पादित कार्य संविदा पर 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत ई.सी. फीस देय हैं जिसमे रेस्पोन्डेन्ट प्रार्थी द्वारा यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट की ओर से कथन किया गया कि माननीय कर बोर्ड द्वारा निर्णय पारित करते समय प्रार्थी द्वारा प्रेषित पेपर बुक जो स्पीड पोस्ट दिनांक 24.12.2009 जिस पर आर्टिकल न. ई.आर.716997486आई.एन. अंकित था भेजी गई थी जिसमें विस्तृत बहस लिखी हुई थी, पर विचार नहीं किया गया है। प्रार्थी को सुनवाई का बिधिवत अवसर प्राप्त नहीं हुआ हैं। इन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 19.03.2013 निरस्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया हैं। पत्रावली पर कोई पेपर बुक उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था जो विधिवत तामील हुआ हैं। सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु अनुरोध किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह है कि प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट को सुनवाई हेतु विधिवत अवसर प्राप्त नहीं हुआ हैं। संबधित अपील पत्रावली संख्या 2184/2008 में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर के पत्र क्रमांक 313 दिनांक 20.07.2009 के द्वारा प्रार्थी को नोटिस तामील की सूचना प्रेषित की गई है जिसके संलग्न नोटिस पर दिनांक 14.07.2009 को तामील की हुई हैं। इस प्रकार जब नोटिस तामील करवा दिया था तो प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं है कि प्रार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्राप्त नहीं हुआ हैं।

8. विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड अजमेर की सम्माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 2184/2008 में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2013 हालांकि एकपक्षीय पारित किया गया है परन्तु सम्मानीय खण्डपीठ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर परीक्षण करते हुए गुणावगुण पर विचार करते हुए निर्णय पारित किया है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

के.एल.जैन
(सदस्य)

(नत्थूराम)
(सदस्य)